संचालनालय

महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती. भवन, ब्लाक–1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर
दूरभाष क्रमांक 0771–2234192, 2234188 (Fax) email : dirwcd.cg@nic.in

क्रमांक / 5266 / मशाति / मरसमि / 25-26 "विज्ञापन" नया रायपुर, दिनांक- 04/08/2025

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र के राज्य स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में विज्ञापन

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाव हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी आने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (State Hub for Empowerment of Women) स्थापित है। राज्य स्तरीय महिला संसाधन केन्द्र के 03 पदों पर एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 07.08.2025 से 22.08.2025 तक विभाग की वेबसाईट **https://we.e-bharti.in/shew** पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	पदनाम	पद संख्या			वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन (प्रतिमाह)	चयन प्रक्रिया	अधिकतम आयु
		UR	ST	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जेण्डर विशेषज्ञ	0	1	01	10	31450 / –	सीधी भर्ती– एकमुश्त वेतन / संविदा वेतन	45* वर्ष
2	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	0	1	01	09	27740 / –		45* वर्ष
3	लेखा सहायक	1	0	01	07	20900 / –		35* वर्ष

*** छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा पर छूट के आलोक में पद क्रमांक 1 एवं 2 पर सभी छूटो को मिलाकर अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा पद क्रमांक 3 पर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।**

आवेदन प्रपत्र तथा पद क्रमांक 1 से 3 तक के पदों पर चयन हेतु **शैक्षणिक योग्यता, वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं, चयन हेतु आर्हता, मापदंड एवं अन्य शर्तें, आयु–सीमा, अनुभव, कार्य दायित्व, चयन प्रक्रिया** एवं अन्य विवरण– **www.cgstate.gov.in** एवं **www.cgwcd.gov.in** वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

विज्ञापन अनुसार ऑनलाईन आवेदन दिनांक 22.08.2025 की संध्या 5:00 बजे तक विभाग की वेबसाईट **https://we.e-bharti.in/shew** के माध्यम से ही प्रेषित किये जावें। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

04/8/25

(पदुम सिंह एल्मा)
संचालक
महिला एवं बाल विकास
नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)

राज्य महिला सशक्तिकरण केन्द्र (State HUB for Empowerment of Women) के पदों पर चयन हेतु योग्यता, वेतन भत्ते सुविधाएं, आर्हताएं एवं अन्य नियम व शर्ते :–

1. विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	पद संख्या			वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त/ संविदा मासिक वेतन (प्रतिमाह)	चयन प्रक्रिया
		UR	ST	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जेण्डर विशेषज्ञ	0	1	01	10	31450/–	सीधी भर्ती– एकमुश्त वेतन/ संविदा वेतन
2	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	0	1	01	09	27740/–	
3	लेखा सहायक	1	0	01	07	20900/–	

2. इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव का विवरण–

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	जेन्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ए. समाज शास्त्र, एम.एस.डब्ल्यू., एम.बी.ए. रूरल मैनेजमेंट एवं अन्य सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विषय में अपेक्षित डिग्री)	कम्प्यूटर का ज्ञान, जिसमें एम.एस. ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग (हिंदी/अंग्रेजी) में कार्य करने की क्षमता	• जेण्डर से संबंधित कार्यों का शासकीय/ अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 02 वर्ष का जेण्डर केन्द्रित विषय पर कार्यानुभव	• अंग्रेजी भाषा का ज्ञान।
2	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री	कम्प्यूटर का ज्ञान एवं एम.एस. ऑफिस/एस.पी.एस.एस. सॉफ्टवेयर में कार्य करने की क्षमता	• महिलाओं से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों का शासकीय/ अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कम से कम 02 वर्षों का अनुभव	• स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। • अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। • महिलाओं से संबंधित विषय पर अनुसंधान रिपोर्ट/पेपर प्रकाशन।
3	लेखा सहायक	लेखा/अन्य क्षेत्र में स्नातक/डिप्लोमा, जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो	कम्प्यूटर का ज्ञान, जिसमें एम.एस. ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	• शासकीय/अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का संबंधित कार्यों का अनुभव	• अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।

- शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।
- *उपरोक्त उल्लेखित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार आवेदन ना करें।*

04/8/25

3. वेतन भत्ते, अन्य सुविधाओं का विवरण –

- यह पद भारत शासन की मिशन शक्ति अंतर्गत योजना के पद है, भारत शासन के दिशा–निर्देश के अनुसार एवं दी जा रही वित्तीय सहायता अवधि तक ही तथा निर्धारित संविदा (एकमुश्त) वेतन पर होंगे।
- पदों हेतु वेतन संबंधी विवरण उपरोक्तानुसार विज्ञापन में कॉलम क्रमांक 7 पर उल्लेखित एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। सेवा समाप्ति के उपरांत नियुक्त कर्मचारी को किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान, भत्ता एवं मृत्यु लाभ इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
- इन कर्मियों को अवकाश सुविधा तथा यात्रा भत्ता की पात्रता संविदा नियम 2012 (यथा संशोधित समय–समय पर) अनुसार ही देय होगी।

4. आयु सीमा –

- आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में की जाएगी।
- जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किंतु सभी छूटो को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- लेखा सहायक पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण–पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

5. नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ निवासी संबंधी मापदंड –

- जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इन पदों हेतु 02 बोनस अंक दिया जाएगा।
- लेखा सहायक के पद हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण–पत्र ही मान्य किए जावेंगे।

6. आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में

04/8/25

चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी।

9. आवेदन ऑनलाईन ही किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज़ स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।

10. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

11. आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (आयुक्त/संचालक) का निर्णय ही अंतिम होगा।

12. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण–पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

13. शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख के अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा।

14. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें।

15. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

16. आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

17. उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक–इन–इंटरव्यू एवं कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।

18. कौशल परीक्षा/वॉक–इन–इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

19. योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

20. **नियुक्ति की अवधि –**

    - इन समस्त पदों पर प्रथम बार में नियुक्ति संविदा/एकमुश्त वेतन पर 02 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। तत्पश्चात् योजना संचालन की निरंतरता, कार्य

04/8/25

योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अविध 01 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने का निर्णय आयुक्त/संचालक द्वारा लिया जाएगा। अन्यथा संविदा सेवा की अवधि की समाप्ति पर एवं न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त माना जायेगा।

- चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही कोई स्वत्वों का भुगतान किया जाएगा।

21. उपरोक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	चयन प्रक्रिया
1.	जेंडर विशेषज्ञ	• सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री • जेण्डर से संबंधित कार्यों का शासकीय /अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठनों में कम से कम 02 वर्षों का अनुभव	1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक। 2. न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे। अधिकतम 18 अंक। 3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदको को 02 बोनस अंक दिए जाएगे। 4. उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी। 5. वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10–10 अंक होंगे। 6. अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
2.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	• सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री • महिलाओं से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों का शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कम से कम 02 वर्षों का अनुभव	
3.	लेखा सहायक	• लेखा/अन्य क्षेत्र में स्नातक/डिप्लोमा, जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो। • लेखा संबंधित कार्यों का शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक। 2. न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे। अधिकतम 20 अंक। 3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है।। 4. उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी। 5. वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10–10 अंक होंगे। 6. अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

4/8/15

22. समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार तालिका के चयन प्रक्रिया कॉलम के उप कंडिका 1, 2, 3 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु जेण्डर विशेषज्ञ तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा लेखा सहायक पद के लिए मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 के रेशियो में अथवा चयन समिति के निर्णय पर 1:10 में प्रत्येक पद के लिए मेरिट लिस्ट तैयार कर वॉक–इन–इंटरव्यू/ कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों के संबंध में संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
23. चयन सूची में चयनित अभ्यर्थी के नाम के साथ प्रतिक्षा सूची भी जारी की जायेगी, जो कि 01 वर्ष के लिये मान्य होगी। यदि कोई अभ्यर्थी चयनित होकर पद ग्रहण कर लेता है और यदि किसी परिस्थितिवश कारणों से 01 वर्ष के भीतर पद त्याग करता है या 01 वर्ष के भीतर नियोक्ता इनकी सेवा समाप्त करता है तो इस 01 वर्ष के भीतर इस मान्य प्रतीक्षा सूची से अगले क्रम के अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा।
24. ऑनलाईन आवेदन के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची के साथ चाही गई जानकारी अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
25. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।
26. आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन दिनांक 22.08.2025 की संध्या 5:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

01/8/25

(पदुम सिंह एल्मा)
संचालक
महिला एवं बाल विकास
नया रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)